कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–विकास), मध्यप्रदेश
प्रथम तल सतपुड़ा भवन भोपाल–462004
दूरभाष -0755.2674216, फैक्स.2674339 ई–मेल apccfdev@mp.gov.in

क्रमांक /एफ02/विकास/3306 भोपाल, दिनांक 29-8-2020

प्रति,

समस्त,
वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश भोपाल

विषयः– वन समितियों की सुरक्षा की राशि प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भः–1– क्षेत्रीय अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 21.08.202।

2– म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ 03–12/2015/10–2, दिनांक 30 सितम्बर 2015।

–0–

संयुक्त वन प्रबंध समितियों के कार्यों में सक्रियता लाने के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि म0प्र0 शासन के ज्ञाप कमांक/एफ 03 2025 10–2, दिनांक 30.09.2015 में दिये गये निर्देशों क आधार पर समितियों को सुरक्षा की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

उक्त निर्देशों की समीक्षा करने पर पाया गया है कि निर्देश मे समिति के माध्यम से श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान करने पर रोक लगायी गयी है। किन्तु जहां समितियों द्वारा सुरक्षा कार्य किया जाता है वहां समिति को भुगतान करने में इस निर्देश के तहत कोई बाधा नहीं है। कई वनमंडलों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा समितियों को सुरक्षा की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी वनमंडलों में जहां समितियां सुरक्षा कार्य कर रही है, राशि का भुगतान सीधे समितियों को किया जावे।

29/8/20

O/C

(चितरंजन त्यागी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमाक /एफ02/विकास/3307 भोपाल, दिनांक 29-8-2020

प्रतिलिपिः– समस्त मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
मध्य प्रदेश भोपाल